(50)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 4223–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–5–16 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण कमांक 360/2015–16/अपील.

राजेश पिता त्रिभुवन पाण्डे
निवासी ग्राम तुकईथड
तहसील खकनार जिला बुरहानपुर .....आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती गीता पति माताचरण दुबे
पुत्री श्रीनाथ पाण्डे निवासी ग्राम तुकईथड
तहसील खकनार जिला बुरहानपुर .....अनावेदिका

श्री जितेन्द्र बुग्गीवाला, अभिभाषक, आवेदक
श्री राजू बाधड़कर, अभिभाषक, एवं
श्री ओ.पी. शर्मा, अभिभाषक, अनावेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/8/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–5–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, खकनार जिला बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–1–2016 के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष दिनांक 11–5–2016 को अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई थी, इसलिए विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण कमांक 360/2015–16/अपील दर्ज कर दिनांक 17–5–16 को अंतरिम आदेश पारित कर अपील समयावधि में मान्य कर ग्राह्य की

गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ इस न्यायालय में भी अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 17–5–16 के विरूद्ध यह निगरानी दिनांक 15–12–16 को अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई है । अतः अवधि के बिन्दु एवं गुण–दोष पर अन्तिम तर्क सुने गये । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा अवधि के बिन्दु पर एवं गुण–दोष पर मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय में यह निगरानी समयावधि में प्रस्तुत की गई है, क्योंकि आवेदक को दस्तावेजों की प्रतियां विलम्ब से प्राप्त हुई हैं । इसके बावजूद भी यदि इस न्यायालय में यह निगरानी समय बाह्य होना ठहराया जाता है, तब भी निगरानी प्रस्तुत होने में जो विलम्ब हुआ है, वह सद्भाविक होने से क्षमा किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–5–16 न्यायिक आदेश नहीं होकर कार्यपालिक आदेश है, इस कारण उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा विलम्ब माफ करने में विलम्ब का सद्भाविक कारण आदेश में नहीं दर्शाया गया है, और उनके द्वारा अति संक्षिप्त प्रकृति का आदेश पारित किया गया है, जो कि बोलता हुआ आदेश की परिधि में नहीं आता है, इसलिए भी अपर आयुक्त का आदेश अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका को 45 दिन के अन्दर अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत करना चाहिए थी, किन्तु उनके द्वारा दो माह विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) इस न्यायालय में यह निगरानी अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई है, और विलम्ब का समाधान कारक कारण आवेदक की ओर से नहीं बतलाया गया है, अतः यह निगरानी अवधि बाह्य हाने से इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) अपर आयुक्त के समक्ष मात्र दो माह विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है, अतः इतने अल्प विलम्ब को क्षमा करने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, क्योंकि सामान्यतः प्रकरण का निराकरण तकनीकी आधार पर नहीं करना चाहिए ।

(3) प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार प्रकियात्मक त्रुटि के आधार पर प्रकरण का निराकरण नहीं कर गुण–दोष पर उभय पक्ष को सुनकर करना चाहिए ।

(4) यदि विलम्ब सद्भाविक है तो 15 वर्ष का विलम्ब भी क्षमा किया जा सकता है, इस प्रकरण में मात्र दो माह का विलम्ब है जो कि सद्भाविक है ।

5/ यह निगरानी इस न्यायालय में अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई है । विलम्ब का कारण समाधान कारक होने से इस न्यायालय में यह निगरानी समय–सीमा में मान्य की जाती है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनावेदिका के अभिभाषक द्वारा दिनांक 26–3–2016 को अनुविभागीय अधिकारी का आदेश नोट किया गया है, और उसी दिन आदेश की सत्यप्रतिलिपि के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है । दिनांक 20–4–2016 को अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त होने पर अनावेदिका के अभिभाषक द्वारा दिनांक 11–5–2016 को अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जो कि निर्धारित समय सीमा में है । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा निगरानी को समय–सीमा में मान्य करते हुए ग्राह्य करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, इसलिए अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–5–16 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर